न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 56/2013

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सुरेश जेठानी पुत्र श्री गोरधन जेठानी (विक्रेता), मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
2. श्रीमती कोमल जेठानी पत्नी श्री सुरेश जेठानी (मालिक), मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
3. मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
4. श्री अशोक माथुर पुत्र श्री गणपतलाल माथुर (नोमिनी) , मैसर्स Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Anand, Gujrat.
5. Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Anand, Gujrat.

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भारद्वाज

--: आदेश :--

दिनांक – 18.03.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) घी (अमूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2013 को 02:30 पीएम पर मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश जेठानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध नहीं था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय घी (अमूल ब्राण्ड) के 500–500 मिली के 48 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त घी (अमूल ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 500 मिली के 04 पैकेट घी (अमूल ब्राण्ड) रू. 608/– रूपयें श्री सुरेश जेठानी को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द सैनी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुरेश जेठानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी (अमूल ब्राण्ड) को चार साफ, खुली प्लास्टिक की बोतल में बराबर मात्रा में भरकर चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–455 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/4108 दिनांक 18.04.2013 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/125/एफएसएसए/2013/126 दिनांक 01.04.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (अमूल ब्राण्ड) मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेतु निर्धारित प्रपत्र मे अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 03.10.2013 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्यां 1 से 3 तथा अप्रार्थी सं 4 से 5 की ओर से पृथक पृथक लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर समस्त गवाहों को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर परिवाद में वर्णित गवाह सूची के समस्त व्यक्तियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी किये गये। गवाह संख्या 1 से 3 तथा 5 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित बयान प्रस्तुत किये। निरन्तर सम्मन भेजने के बावजूद गवाह संख्या 4 श्री पंकज मिड्डा, तत्कालीन खाद्य विश्लेषक, खाद्य मानक प्रयोगशाला, अजमेर के साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को पत्र प्रेषित कर श्री पंकज मिड्डा की सेवानिवृति या वर्तमान पदस्थापन की सूचना भिजवाने तथा साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने बाबत निर्देशित किया गया। अभिहित अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 19.11.2025 से अवगत कराया कि श्री पंकज मिड्डा की मृत्यु दिनांक 08.12.2023 को हो चुकी है तथा पत्र के साथ उन्होने श्री पंकज मिड्डा का मृत्यु प्रमाणपत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर श्री पंकज मिड्डा के साक्ष्य के अवसर समाप्त किये जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भारद्वाज ने उपस्थित होकर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व में ही लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिये गये है। अप्रार्थी सं 1 से 3 ने परिवाद मे वर्णित कथनों को अस्वीकार किया है। उन्होने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने प्रत्युत्तर में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में वर्णित समस्त दस्तावेज अप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाये है। अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पढ़कर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है बल्कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये है एवं मनमाने तरीके से मौका फर्द तैयार की है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मनमाने तरीके से सम्पूर्ण कार्यवाही की है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा मानक नियम 2011 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है और न ही नियमानुसार कार्यवाही की गयी है, अतः परिवाद मं अंकित सूची गवाहान में वर्णित सभी गवाहों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में तलब किया जावे। अप्रार्थी स 4 से 5 ने अपने प्रत्यत्तुर में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को विधि अनुसार सूचना दिये बिना ही अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मनमाने तरीके से सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) अंकन उत्पाद के पैकेट पर नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि जाँच रिपोर्ट में उत्पाद के मिस ब्राण्ड होने बाबत कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होंने विचाराधीन परिवाद को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद व गवाहो द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित बयानों का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया।।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न खाद्य विश्लेषक अजमेर एवं की जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (अमूल ब्राण्ड)) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) मानक 2011 के (मानक सं 2.2.2(iii)) का उल्लंघन होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c(i) के तहत मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उत्पाद के लेबल पर अंकित है कि यह उत्पाद, विटामिन ए, डी, ई व के का प्रचुर स्त्रोत है, परन्तु लेबल पर केवल विटामिन ए की प्रति 100मिली में उपस्थित मात्रा ही अंकित की गयी है, अन्य विटामिन्स की नहीं। अतः मानक सं 2.2.2(iii) व 2.2.2(iv) का उल्लंधन होने के कारण विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया घी (अमूल ब्राण्ड) मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) है। साक्षीगण ने अपने बयानों में केवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का ही विवरण दिया है, उन्होने विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किये गये घी (अमूल ब्राण्ड) के मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) होने बाबत किसी प्रकार का कथन नहीं किया है। साक्षियों के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने बाबत अभिहित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी न ही अप्रार्थीगण को पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः परिवाद, अप्रार्थीगण के लिखित प्रत्युत्तर व साक्षियों द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने उत्पाद के लेबल पर मात्र विटामिन डी, ई व के की मात्रा का प्रति 100मिली में अंकन नहीं होने के कारण ही उत्पाद को मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया है। परिवाद के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई गम्भीर कृत्य नहीं किया गया है जिससे कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत दण्डित किया जा सके।

अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का परिवाद पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2026 / 1192 - 99 दिनांक : 25.03.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री सुरेश जेठानी पुत्र श्री गोरधन जेठानी (विक्रेता), मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
5. श्रीमती कोमल जेठानी पत्नी श्री सुरेश जेठानी (मालिक), मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
6. मैसर्स अरावली सेल्स एजेन्सीज, कवन्डसपुरा, अजमेर जिला अजमेर।
7. श्री अशोक माथुर पुत्र श्री गणपतलाल माथुर (नोमिनी) , मैसर्स Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Anand, Gujrat.
8. Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Anand, Gujrat.

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर